कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय–आदेश

माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण द्वारा अपील संख्या 977/16 श्री योगेन्द्र कुमार यादव बनाम जिशिअ–माध्यमिक जयपुर के आदेश दिनांक 10.06.2016 की अनुपालना में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम जयपुर द्वारा उपलब्ध करवायी गयी तथ्यात्मक स्थिति व विभागीय निति, नियमों के परिपेक्ष्य में देखा गया

अपीलार्थी द्वारा अपने अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि उसकी योग्यता एम. ए. भूगोल व बी.एड हैं एवं स्नातक में भूगोल इतिहास व संस्कृत रहे हैं। संस्कृत विषय लेवल–2 की रिक्त पदों की संख्या 82 थी एवं वरियता सूची में उसका कमांक 106 था। इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से संस्कृत लेवल 2 में अधिशेष था। विभागीय नियमानुसार अधिशेष शिक्षको को प्रथम लेवल शिक्षको के पदो के विरूद्ध पदो पर पदस्थापित किया । चूंकि लेवल प्रथम की काउंसलिंग 21.05 व 22.05.2016 को की गई एवं विभागीय नियमानुसार किसी भी संस्था में कार्यरत अधिशेष कार्मिक को उसी विद्यालय में पद रिक्त (प्रथम लेवल) होने पर वरीयता देते हुए वहीं समायोजित किया जाना चाहिए था, लेवल–2 संस्कृत विषय की काउंसलिंग 04.06.16 को आयोजित करके प्रार्थी को इसमे शामिल होने का निर्देश दिया जबकि प्रार्थी उक्त दिनांक से पहले ही मूल पदस्थापित विद्यालय में प्रथम लेवल के पद के विरूद्ध पदस्थापित कर समायोजित किया जाना चाहिए था, परन्तु उसे 120 किलोमीटर दूर राजकीय माध्यमिक विद्यालय रामनगर, जमवारामगढ मे पदस्थापित किया गया । पंचायत समिति शाहपुरा के कई कार्मिको की 6–डी नहीं हुई है फिर भी उन्हे लेवल–I पद पर पदस्थापित किया गया है । प्रार्थी बेकबोन की बिमारी से ग्रसित है व लम्बी दूरी की यात्रा उसके लिये वर्जित है। वृद्ध माता पिता की सेवा भी आवश्यक है । अतः प्रार्थी को शाहपुरा समिति परीक्षेत्र (जयपुर) में लेवल–I या लेवल–II सामाजिक विज्ञान/संस्कृत विषय के पद पर पदस्थापित करने की मांग की गई है ।

जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक–प्रथम, जयपुर द्वारा उपलब्ध करवाई गई तथ्यात्मक अभिलेखीय स्थिति, नियमो व स्थिति के परिपेक्ष्य में यह स्थिति पायी गई कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय अमरपुरा, शाहपुरा जयपुर में अध्यापक लेवल–2 संस्कृत का एक पद स्वीकृत था तथा दो अध्यापक श्री अर्जुन सिंह यादव एवं योगेन्द्र कुमार यादव कार्यरत थे । श्री अर्जुन सिंह यादव की जिले में कार्यग्रहण तिथी 23.03.06 थी जबकि श्री योगेन्द्र कुमार यादव की जिले मे कार्यग्रहण की तिथी 02.07.08 थी । इस प्रकार श्री अर्जुन सिंह वरिष्ठ थे एवं योगेन्द्र कुमार यादव विभागीय नीति अनुसार अधिशेष थे । शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू होने से पूर्व उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु तृतीय श्रेणी अध्यापको की नियुक्ति बिना विषय तथा बिना लेवल के ही होती थी तथा चयनित अभ्यर्थी कक्षा एक से आठ तक किसी भी कक्षा/विषय का अध्यापन करवाता था । बिना लेवल व बिना विषय के तृतीय श्रेणी अध्यापको की नियुक्ति होने के कारण जयपुर जिले में स्थित विद्यालयो में स्टाफिंग पेटर्न के अनुसार स्वीकृत विषयवार/लेवलवार पदो की संख्या से लेवल–2 संस्कृत विषय के कार्यरत अध्यापक अधिक हो गये । अधिशेष संस्कृत विषय के अध्यापको का समायोजन लेवल–2 के सम्बन्धित विषय पर संभव नही था, क्योकि वरिष्ठता जिलेवार ही होती है । ऐसे मे विभाग के लिये इनका समायोजन लेवल–1 पर करना आवश्यक हो गया । इनका समायोजन लेवल–1 पर किये जाने से इनके वेतन/पदोन्नति/अन्य सेवा लाभो में किसी प्रकार का कोई प्रतिकूल प्रभाव/व्यवधान नहीं होता है । लेवल–2 संस्कृत विषय के किसी भी अध्यापक को लेवल–1 के पद पर यथावत विद्यालय में पदस्थापित नहीं किया गया है । परामर्श कैम्प मे लेवल–2 संस्कृत विषय के अधिशेष अध्यापको एवं लेवल–2 संस्कृत विषय की रिक्तियों के बराबर लेवल–1 के पद प्रदर्शित किया जाकर सभी को समान रूप से विकल्प चुनने का अवसर दिया गया । परीवादी स्वयं ने स्व विवेक से स्वैच्छा पूर्वक राजकीय माध्यमिक विद्यालय रामनगर, जमवारामगढ में लेवल–1 के पद पर पदस्थापन हेतु अपना विकल्प पत्र प्रस्तुत किया । इसी आधार पर पदस्थापन आदेश जारी किये जाने पाये गये । माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका 3669/15 प्रकाश चन्द्र हीरागर बनाम सरकार मे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को

जून–16 तक समस्त पद भरने हेतु निर्देश प्रदान किये गये हैं एवं इसी को ध्यान मे रखते हुए पदो के भरने की कार्यवाही विभाग द्वारा सचेष्ट रहकर की जा रही है ।

इन स्थितियों से याचिकार्थी स्वयं भी भिज्ञ था एवं माननीय अधिकरण के समक्ष जो लेवल–2 का तर्क लिया जा रहा था, उससे स्वयं हटते हुए प्रस्तुत अभ्यावेदन में लेवल–1 हेतु मांग की गई है । इस स्थिति से वह स्वंय भी भिज्ञ था कि उसकी योग्यता क्या है एवं प्रथम काउसलिंग 21.05 व 22.05.16 को जो हुई थी उन अध्यापको की योग्यता क्या थी । स्वयं अपीलार्थी की योग्यता एम. ए भूगोल एवं प्रशिक्षित योग्यता बी.एड थी एवं उसके स्नातक के विषय भूगोल, इतिहास व संस्कृत थे एवं वह संस्कृत विषय पर अधिशेष था । शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने से पूर्व की नियुक्ति थी एवं चयनित अभ्यर्थी कक्षा एक से आठ तक किसी भी कक्षा/विषय का अध्यापन करवाने की तत्समय स्थिति थी एवं वर्तमान स्थितियों के अनुरूप स्वीकृत विषयवार व लेवलवार पदो की संख्या से लेवल–2 संस्कृत विषय में वह अधिशेष था एवं लेवल–1 पर ही समायोजन संभव था।

उपरोक्त सम्पूर्ण स्थितियों से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि विभाग द्वारा जो भी कार्यवाही की गई है वह पूर्णतया नीतिपूर्वक अपीलार्थी के साथ–साथ अन्य समस्त समानार्थी अध्यापको हेतु परामर्श कैम्प आयोजित कर समस्त रिक्तियां प्रदर्शित कर सम्बन्धित अध्यापक की सहमति से पूर्ण पारदर्शिता पूर्वक की गई है एवं जो पदस्थापन किया गया है वह स्वयं याचिकार्थी की सहमति के आधार पर प्रस्तुत विकल्प पत्र अनुसार किया गया है । प्रस्तुत अभ्यावेदन उक्तानुसार खारिज योग्य होने के आधार पर खारिज किया जाता है । सभी सम्बन्धित सूचित हों ।

(बी0एल0स्वर्णकार)
आई.ए.एस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–माध्य/संस्था/एफ–1–ए/अधिकरण अपील संख्या–977/16को.के./16 दिनांकः– 18/6/16
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त विधि परामर्शी, शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ), विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संबंधित उप निदेशक, मा0शि0,जयपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक–प्रथम) जयपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा (विधि) जयपुर।
6. अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग कार्यालय हांजा को।
7. प्रधानाध्यापक,रामावि0 अमरपुरा (शाहपुरा) जयपुर/रामनगर, जमवारामगढ जयपुर ।
8. श्री योगेन्द्र कुमार यादव अपीलार्थी जरिये संस्था प्रधान ।
9. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय–आदेश

माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण द्वारा अपील संख्या 945/16 श्री यशवन्त पूर्बिया बनाम उपशासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा के निर्णय दिनांक 10.06.2016 की अनुपालना में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम जयपुर द्वारा उपलब्ध करवायी गयी तथ्यात्मक स्थिति व विभागीय निति, नियमों के परिपेक्ष्य में देखा गया

अपीलार्थी द्वारा अपने अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि उसकी योग्यता बी.ए. बी.एड. हैं एवं सामाजिक विज्ञान विषय के तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर कार्य कर रही थी। लेवल–I की काउंसलिग दिनांक 21 व 22 मई, 2016 को की गई एवं लेवल–II की काउंसलिग दिनांक 24.052.2016 को की गई। अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 228 पर रखा गया था जो कि गलत रूप से रखा गया था। शाला दर्पण के अनुसार वह अपने विषय में लेवल–II में अधिशेष नहीं थी तथा 01 पद अध्यापक लेवल–I का भी खाली था। जारी आदेश राज्य सरकार आदेश दिनांक 08.05.16 एवं 09.05.16 के विपरीत है। उक्त स्थितियों व पंचायत राज नियम 1996 का उल्लेख करते हुए दिनांक 23.05.16 के आदेशों को अपास्त करने एवं राजकीय माध्यमिक विद्यालय ठीकरिया, सांगानेर जिला–जयपुर में अध्यापक ग्रेड–III लेवल–II के पद पर पदस्थापित करने की मांग की गई है।

जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक–प्रथम, जयपुर द्वारा उपलब्ध करवाई गई तथ्यात्मक अभिलेखीय स्थिति, नियमो व स्थिति के परिपेक्ष्य में यह स्थिति पायी गई कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय ठीकरिया, ब्लॉक सांगानेर जयपुर में अध्यापक लेवल–II सामाजिक विज्ञान का एक पद स्वीकृत था तथा दो अध्यापक श्री यशवन्त पूर्बिया एवं अलका शर्मा कार्यरत थे। जिले में कार्यग्रहण तिथी के आधार पर अलका शर्मा वरिष्ठ थी एवं यशवन्त पूर्बिया विभागीय नीति अनुसार अधिशेष थे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू होने से पूर्व उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु तृतीय श्रेणी अध्यापको की नियुक्ति बिना विषय तथा बिना लेवल के ही होती थी तथा चयनित अभ्यर्थी कक्षा एक से आठ तक किसी भी कक्षा/विषय का अध्यापन करवाता था । बिना लेवल व बिना विषय के तृतीय श्रेणी अध्यापको की नियुक्ति होने के कारण जयपुर जिले में स्थित विद्यालयो में स्टाफिंग पेर्टन के अनुसार स्वीकृत विषयवार/लेवलवार पदो की संख्या से लेवल–II संस्कृत विषय के कार्यरत अध्यापक अधिक हो गये । अधिशेष सामाजिक विज्ञान विषय के अध्यापको का समायोजन लेवल–II के सम्बन्धित विषय पर संभव नही था, क्योकि वरिष्ठता जिलेवार ही होती है । ऐसे मे विभाग के लिये इनका समायोजन लेवल–I पर करना आवश्यक हो गया । इनका समायोजन लेवल–1 पर किये जाने से इनके वेतन/पदोन्नति/अन्य सेवा लाभो में किसी प्रकार का कोई प्रतिकूल प्रभाव/व्यवधान नहीं होता है । लेवल–II सामाजिक विज्ञान विषय के किसी भी अध्यापक को लेवल–1 के पद पर यथावत विद्यालय में पदस्थापित नहीं किया गया है । परामर्श कैम्प मे लेवल–2 सामाजिक विज्ञान विषय के अधिशेष अध्यापको एवं लेवल–2 सामाजिक विज्ञान विषय की रिक्तियों के बराबर लेवल–I के पद प्रदर्शित किया जाकर सभी को समान रूप से विकल्प चुनने का अवसर दिया गया । परीवादी स्वयं ने स्व विवेक से स्वैच्छा पूर्वक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सवाई माधोसिंहपुरा, फागी, जयपुर में लेवल–I के पद पर पदस्थापन हेतु अपना विकल्प पत्र प्रस्तुत किया । इसी आधार पर पदस्थापन आदेश जारी किये जाने पाये गये । माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका 3669/15 प्रकाश चन्द्र हीरागर बनाम सरकार मे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को जून–16 तक समस्त पद भरने हेतु निर्देश प्रदान किये गये हैं एवं इसी को ध्यान मे रखते हुए पदो के भरने की कार्यवाही विभाग द्वारा सचेष्ट रहकर की जा रही है ।

इन स्थितियों से अपीलार्थी स्वयं भी भिज्ञ था एवं माननीय अधिकरण के समक्ष जो लेवल–II का तर्क लिया जा रहा था, उससे स्वयं हटते हुए प्रस्तुत अभ्यावेदन में लेवल–I हेतु भी तर्क विद्यालय में लेवल–I का पद रिक्त होने के परिपेक्ष्य में कथन किए गए है। इस स्थिति से वह स्वंय भी भिज्ञ था कि उसकी योग्यता क्या है एवं प्रथम काउसलिंग 21.05 व 22.05.16 को जो हुई थी उन अध्यापको की योग्यता क्या थी । स्वयं अपीलार्थी की योग्यता बी.ए. एवं प्रशिक्षित योग्यता बी.एड थी वह सामाजिक विज्ञान विषय पर अधिशेष था । शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने से पूर्व चयनित अभ्यर्थी कक्षा एक से आठ तक किसी भी कक्षा/विषय का अध्यापन करवाने की

तत्समय स्थिति थी एवं वर्तमान स्थितियों के अनुरूप स्वीकृत विषयवार व लेवलवार पदो की संख्या से लेवल–II सामाजिक विज्ञान विषय में वह अधिशेष था एवं लेवल–I पर ही समायोजन संभव था।

उपरोक्त सम्पूर्ण स्थितियों से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि विभाग द्वारा जो भी कार्यवाही की गई है वह पूर्णतया नीतिपूर्वक अपीलार्थी के साथ–साथ अन्य समस्त समानार्थी अध्यापको हेतु परामर्श कैम्प आयोजित कर समस्त रिक्तियां प्रदर्शित कर सम्बन्धित अध्यापक की सहमति से पूर्ण पारदर्शिता पूर्वक की गई है एवं जो पदस्थापन किया गया है वह स्वयं याचिकार्थी की सहमति के आधार पर प्रस्तुत विकल्प पत्र अनुसार किया गया है । प्रस्तुत अभ्यावेदन उक्तानुसार खारिज योग्य होने के आधार पर खारिज किया जाता है । सभी सम्बन्धित सूचित हों ।

(बी0एल0स्वर्णकार)
आई.ए.एस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–माध्य/संस्था/एफ–1–ए/अधिकरण अपील संख्या–945/16को.के./16 दिनांकः– 8/6/16

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त विधि परामर्शी, शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ), विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संबंधित उप निदेशक, मा0शि0,जयपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक–प्रथम) जयपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा (विधि) जयपुर।
6. अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग कार्यालय हांजा को।
7. प्रधानाध्यापक,रामावि0 अमरपुरा (शाहपुरा) जयपुर/रामनगर, जमवारामगढ जयपुर ।
8. श्री यशवन्त पूर्बिया अपीलार्थी जरिये संस्था प्रधान ।
9. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर